न्यायालयः– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन

बउनवान–शौकत अली व अन्य बनाम मुख्त्यार अहमद व अन्य
किस्म–दीवानी मूल नंबर–62/16, 53/16 क.न.–91/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16-04-26	वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1क(3) के संबंध में बहस सुनी गई जिसका निस्तारण किया जा रहा है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में वाद के निस्तारण के लिए आवश्यक दस्तावेजात पेश करना चाहते है जिनमें– खान संख्या 79 के क्वारी लाईसेंस की प्रमाणित प्रति, नवीनीकरण, खान किराया, मूल ई.सी. दिनांक 11.03.2025, ट्रेस नक्शा खसरा नंबर 722, 722/1, 722/2 की प्रमाणित प्रति, ई चालान दिनांक 25.03.2025 जीआरएन 101911917, दिनांक 25.03.2025 जीआरएन 102879849, दिनांक 25.03.2025 जीआरएन 101909786, दिनांक 25.03.2025 जीआरएन 101910068, जमाबंदी गैर मुमकिन सडक खसरा नंबर 722/1, 722/2 की प्रमाणित प्रतियां है। उक्त दस्तावेजात पेश करने में प्रतिवादीगण ने जानबूझकर देरी नही की है। उक्त दस्तावेजात वाद के न्याय निर्णय हेतु आवश्यक है अतः वर्णित दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिवक्ता वादीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा पेश किए गए दस्तावेजात प्रतिवादी के पॉवर ऑफ पजेशन में थे फिर भी प्रतिवादी ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	न्यायालय में पेश नही किए तथा उक्त दस्तावेजात देरीना पेश करने का कोई कारण भी अंकित नही किया। वादी की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है केवल वाद को लंबा करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे मय हर्जे खारिज किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जहां तक कि प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के संबंध में कथन किया कि प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र के साथ पेश दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जावें इस संबंध में वादीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रतिवादीगण द्वारा पेश दस्तावेजात प्रतिवादीगण के पॉवर ऑफ पजेशन में होने व वाद को लंबा करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश करने का कथन किया है इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश दस्तावेजात का न्यायालय के द्वारा अवलोकन किया गया जिनमें:— खान संख्या 79 के क्वारी लाईसेंस की प्रमाणित प्रति, नवीनीकरण, खान किराया, ई.सी. दिनांक 11.03.2025, ट्रेस नक्शा खसरा नंबर 722, 722/2 की प्रमाणित प्रति, ई चालान दिनांक 25.03.2025 जीआरएन 101911917, दिनांक 25.03.2025 जीआरएन 102879849, दिनांक 25.03.2025 जीआरएन 101909786, दिनांक 25.03.2025 जीआरएन 101910068, जमाबंदी गैर मुमकिन सडक खसरा नंबर 722/1, 722/2 की प्रमाणित प्रतियां है। उक्त दस्तावेजात वाद में वर्णित तथ्यो से संबंधित दस्तावेजात है अतः प्रतिवादीगण द्वारा पेश

Asha Choudhary

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मुख्यालय, जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दस्तावेजातः— खान संख्या 79 के क्वारी लाईसेंस की प्रमाणित प्रति, नवीनीकरण, खान किराया, ई.सी. दिनांक 11.03.2025, ट्रेस नक्शा खसरा नंबर 722, 722/2 की प्रमाणित प्रति, ई चालान दिनांक 25.03.2025 जीआरएन 101911917, दिनांक 25.03.2025 जीआरएन 102879849, दिनांक 25.03.2025 जीआरएन 101909786, दिनांक 25.03.2025 जीआरएन 101910068, जमाबंदी गैर मुमकिन सडक खसरा नंबर 722/1, 722/2 की प्रमाणित प्रतियों को रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है चूंकि पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रकरण सन् 2016 से लंवित है। प्रतिवादीगण द्वारा पेश दस्तावेजात करीव 10 वर्ष विलंब से पेश किये है उक्त दस्तावेजात को देरी से पेश करने का कोई उचित व सुसंगत कारण भी प्रतिवादीगण ने नही बताया है अतः उक्त तथ्यो व परिस्थितियो को देखते हुए प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी को स्वीकार कर उपरोक्त दस्तावेजात को **2000/—रूपए हर्जे** पर रिकॉर्ड पर लिये जाते है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 30.4.26 को पेश हो। Anne Choudhary अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ... जिला डीडवाना-कुचामन	